



## कोरीजेंडम

दिनांक 15.03.2024 को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या, भोपाल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सीहोर, राजगढ़, हरदा, रायसेन, गुना, विदिशा, बैतूल, नर्मदापुरम, नागपुर के जिला मुख्यलयों एवं जिला मुख्यालय अंतर्गत तहसील / विकासखंड / नगर पंचायत / ग्राम पंचायतों में सांची नीर (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर) के वितरक कार्य हेतु भौतिक रूप से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के दृष्टिगत कोरीजेंडम जारी कर आवेदन जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) आवेदनकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट [www.sanchidairy.com](http://www.sanchidairy.com) से प्राप्त कर सकते हैं। वितरक नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

| स.क्र. | विवरण   | कार्यवाही विवरण   |
|--------|---|---|
| 1.     | आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तीथि एवं समय         | दिनांक 20.04.2024 को <a href="http://www.sanchidairy.com">www.sanchidairy.com</a> से समय 12:00 बजे से |
| 2.     | आवेदन प्रपत्र भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 06.05.2024 समय 01:00 बजे तक, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल                                     |
| 3.     | आवेदन प्रपत्र के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय      | भोपाल दुग्ध संघ के सभा कक्ष में दिनांक 06.05.2024 एवं समय 02:00 बजे से                                |
| 4.     | ईएमडी राशि  | ईएमडी राशि रु.10000/- (राशि रु. दस हजार मात्र)  |

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी आवेदनकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा फिर आवदेन पत्र में वितरक कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन पत्र के क्रय मूल्य रु. 500/- की डीडी/बैंकर्स चेक सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में यथा ईएमडी राशि सहित भौतिक रूप से जमा करें। प्राप्त आवेदन प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् वितरक नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। एक स्थान के लिये, एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में कम्प्यूटर रेडमार्जेशन के माध्यम से लॉटरी प्रक्रिया द्वारा वितरक कार्य हेतु चयन किया जाएगा।

वितरक की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर वितरक का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक-एक वर्ष निरंतर अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि आवेदन में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई मुख्यालय की वेबसाइट [www.sanchidairy.com](http://www.sanchidairy.com) पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी



## भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डैरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

### कोरीजेंडम

दिनांक 15.03.2024 को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या, भोपाल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सीहोर, राजगढ़, हरदा, रायसेन, गुना, विदिशा, बैतूल, नर्मदापुरम, नागपुर के जिला मुख्यलयों एवं जिला मुख्यालय अंतर्गत तहसील / विकासखंड / नगर पंचायत / ग्राम पंचायतों में सांची नीर (ऐकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर) के वितरक कार्य हेतु भौतिक रूप से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के दृष्टिगत कोरीजेंडम जारी कर आवेदन जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) आवेदनकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं रथानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट [www.sanchidairy.com](http://www.sanchidairy.com) से प्राप्त कर सकते हैं। वितरक नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

| स.क्र. | विवरण   | कार्यवाही विवरण   |
|--------|---|---|
| 1.     | आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन प्राप्त करने की तीथि एवं समय         | दिनांक 02.04.2024 को <a href="http://www.sanchidairy.com">www.sanchidairy.com</a> से समय 12:00 बजे से |
| 2.     | आवेदन प्रपत्र भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 16.04.2024 समय 01:00 बजे तक, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल                                     |
| 3.     | आवेदन प्रपत्र के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय      | भोपाल दुग्ध संघ के सभा कक्ष में दिनांक 16.04.2024 एवं समय 02:00 बजे से                                |
| 4.     | ईएमडी राशि  | ईएमडी राशि रु.10000/- (राशि रु. दस हजार मात्र)  |

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी आवेदनकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा फिर आवदेन पत्र में वितरक कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन पत्र के क्रय मूल्य रु. 500/- की डीडी/बैंकर्स चेक सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में यथा ईएमडी राशि सहित भौतिक रूप से जमा करें। प्राप्त आवेदन प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् वितरक नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। एक स्थान के लिये, एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में कम्प्यूटर रेंडमाईजेशन के माध्यम से लॉटरी प्रक्रिया द्वारा वितरक कार्य हेतु चयन किया जाएगा।

वितरक की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर वितरक का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक-एक वर्ष निरंतर अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि आवेदन में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई मुख्यालय की वेबसाइट [www.sanchidairy.com](http://www.sanchidairy.com) पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी



# भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

## पंचम अभिरुचि की अभिव्यक्ति

### सांची नीर (पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर) के वितरक कार्य हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या, भोपाल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सीहोर, राजगढ़, हरदा, रायसेन, गुना, विदिशा, बैतूल, नर्मदापुरम, नागपुर के जिला मुख्यलयों एवं जिला मुख्यालय अंतर्गत तहसील/विकासखंड/नगर पंचायत/ग्राम पंचायतों में तृतीय सांची नीर (पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर) के वितरक कार्य हेतु भौतिक रूप से आवेदन आमंत्रित किए गए जाते हैं। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) आवेदनकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट [www.sanchidairy.com](http://www.sanchidairy.com) से प्राप्त कर सकते हैं। वितरक नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

| स.क्र. | विवरण   | कार्यवाही विवरण   |
|--------|---|---|
| 1.     | आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय         | दिनांक 15.03.2024 को <a href="http://www.sanchidairy.com">www.sanchidairy.com</a> से समय 12:00 बजे से |
| 2.     | आवेदन प्रपत्र भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 01.04.2024 समय 01:00 बजे तक, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल                                     |
| 3.     | आवेदन प्रपत्र के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय      | भोपाल दुग्ध संघ के सभा कक्ष में दिनांक 01.04.2024 एवं समय 02:00 बजे से                                |
| 4.     | ईएमडी राशि  | ईएमडी राशि रु. 10000/- (राशि रु. दस हजार मात्र)   |

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी आवेदनकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाईन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा फिर आवदेन पत्र में वितरक कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन पत्र के क्रय मूल्य रु. 500/- की डीडी/बैंकर्स चेक सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में यथा ईएमडी राशि सहित भौतिक रूप से जमा करें। प्राप्त आवेदन प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् वितरक नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। एक स्थान के लिये, एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में कम्प्यूटर रेंडमाईजेशन के माध्यम से लॉटरी प्रक्रिया द्वारा वितरक कार्य हेतु चयन किया जाएगा।

वितरक की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर वितरक का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक-एक वर्ष निरंतर अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि आवेदन में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई मुख्यालय की वेबसाइट [www.sanchidairy.com](http://www.sanchidairy.com) पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

मूल्य रु. 500/-

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

साँची नीर (पैकेज्ड ड्रिकिंग  
वॉटर) के वितरक कार्य  
हेतु आवेदन आमंत्रित किये  
जाते हैं।



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com



## भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

**कार्य का नाम— सांची नीर (पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर) के वितरक कार्य हेतु चतुर्थ अभिस्लिष्टि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।**

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन प्राप्त करने की तिथि एवं समय         | दिनांक 15.03.2024 को <a href="http://www.sanchidairy.com">www.sanchidairy.com</a> से समय 12:00 बजे से |
| 2. | आवेदन प्रपत्र भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 01.04.2024 समय 01:00 बजे तक, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल                                     |
| 3. | आवेदन खोलने का स्थान, समय एवं तिथि                        | भोपाल दुग्ध संघ के सभा कक्ष में दिनांक 01.04.2024 एवं समय 02:00 बजे से                                |
| 4. | आवेदनकर्ता आवश्यक अर्हता                                  | प्रपत्र क्र. 01   |
| 5. | वितरक कार्य हेतु आवेदन पत्र                               | प्रपत्र क्र. 02   |
| 6. | वितरक कार्य की आवश्यक शर्तें                              | प्रपत्र क्र. 03   |

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु ध्यान रखने योग्य तथ्यः—

- प्रपत्र क्र. 01 “आवेदनकर्ता की आवश्यक अर्हताएँ”, प्रपत्र क्र. 02 “वितरक कार्य हेतु आवेदन पत्र” एवं प्रपत्र क्र. 03 “वितरक कार्य की शर्तें” की एक बंद लिफाफे में रखें लिफाफे पर लिफाफा A अंकित करें।
- लिफाफा A एक अन्य लिफाफे में रखें एवं उस लिफाफे पर प्रतिभागी आवेदनकर्ता, अपना नाम, पता एवं जिस स्थान हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से अंकित कर दुग्ध संघ कार्यालय में दिनांक 01.04.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा करें। वितरक कार्य हेतु सभी आवश्यक अर्हताएँ सफल पाये जाने पर चयन प्रक्रिया संबंधि कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।



# भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

## प्रपत्र क्र.01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.  
भोपाल।

महोदय,

भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ..... शहर/क्षेत्र में सॉची नीर (पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर) के वितरक कार्य हेतु दिनांक..... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित चतुर्थ अभिरुचि की अभिव्यक्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरा आवेदन नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

|     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
| 1   | आवेदकर्ता का नाम<br>(कम्पनी / फर्म / पार्टनरशिप / एकल स्वामित्व)  |  | आवेदकर्ता का नाम<br>(कम्पनी / फर्म / पार्टनरशिप / एकल स्वामित्व) अंकित करें।  |
| 1.1 | आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।  |  | पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।   |
| 1.2 | आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो तथा किसी भी संस्थान द्वारा पुलीस थाने/मा. न्यायालय में वर्तमान में कोई प्रकरण लंबित हो। |  | तदाशय का शपथ पत्र रु 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र के प्रपत्र 04 में प्रारूप संलग्न है। जिसे पढ़कर स्टॉम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। |
| 1.3 | आवेदनकर्ता को (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) वित्तीय वर्ष 2020–2021 एवं 2021–2022 एवं 2022–2023 का आयकर रिट्टन की प्रति संलग्न करें।   |  | तदाशय की आयकर रिट्टन की छायाप्रति संलग्न करें।  |
| 1.4 | आवेदनकर्ता को (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 02 एवं 03 भरकर संलग्न करें।   |  | तत्संबंध में आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 02 नियम एवं शर्तें एवं प्रपत्र क्र. 03 संलग्न करें।  |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 1.5 | आवेदनकर्ता (फर्म/ कम्पनी/ एकल स्वामित्व/ पार्टनरशिप फर्म) ईएमडी राशि रु.10000/- की डीडी/ बैंकर्स चेक संलग्न करें। (एम.एस.एम.ई उद्यमियों के लिए ई.एम.डी राशि में छूट रहेगी।) |  | आवेदनकर्ता (फर्म/ कम्पनी/ एकल स्वामित्व/ पार्टनरशिप फर्म) ईएमडी राशि रु.10000/- बतौर ईएमडी राशि डीडी/ बैंकर्स चेक जो कि पेयबल एट “भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के नाम से देय होगी, संलग्न करें।                      |
| 1.6 | आवेदनकर्ता (फर्म/ कम्पनी/ एकल स्वामित्व/ पार्टनरशिप फर्म) आवेदन पत्र क्रय मूल्य रु.500/- की डीडी/ बैंकर्स चेक संलग्न करें।  |  | आवेदनकर्ता (फर्म/ कम्पनी/ एकल स्वामित्व/ पार्टनरशिप फर्म) द्वारा आवेदन पत्र के लिए क्रय किये गए रु.500/- की डीडी/ बैंकर्स जो कि पेयबल एट “भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के नाम से देय होगी, संलग्न करें। संलग्न करें। |
| 1.7 | म.प्र. राज्य में स्थित उद्यमि एम.एस.एम.ई का सर्टिफिकेट संलग्न करें।   |  | तदाशय के एम.एस.एम.ई के सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न करें।  |

- नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की आवेदनकर्ता (फर्म/ कम्पनी/ एकल स्वामित्व/ पार्टनरशिप फर्म) को स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ तथा ईएमडी राशि की डीडी/ बैंकर्स चेक यथा आवेदन पत्र के क्रय मूल्य की रसीद संलग्न करना अनिवार्य है। दस्तावेज स्वप्रमाणित न पाए जाने पर ऐसे आवेदनकर्ता अमान्य घोषित होंगे।  
(2) उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसी निविदाएँ अमान्य घोषित होंगी।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम :- \_\_\_\_\_

पता :- \_\_\_\_\_

टेलीफोन नं. \_\_\_\_\_

मोबाइल नं \_\_\_\_\_



# भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र.02

## सॉची नीर (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर) वितरक कार्य हेतु आवेदन पत्र

स्वयं का  
स्वहस्ताक्षरित  
पासपोर्ट  
साइज फोटो  
लगावें।

1. आवेदनकर्ता का नाम .....  
(फर्म/कम्पनी/पार्टनशिप फर्म/एकल स्वामित्व)
  2. पिता/पति का नाम .....
  3. स्थाई/वर्तमान पता .....  
.....  
.....
  4. दूरभाष/मोबाइल नं. ....
  5. ई-मेल एड्रेस .....
  6. वितरक कार्य हेतु प्रस्तावित स्थान का नाम
- (आवेदनकर्ता वितरक कार्य हेतु उपर दिए गए खण्ड में स्थान का नाम लिखें )
7. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें) .....  
.....
  8. (अ) पेन नम्बर .....  
(ब) आधार कार्ड नम्बर.....

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता



भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

**प्रपत्र क्र. 03**

### साँची नीर (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर) वितरक कार्य हेतु नियम एवं शर्तेः—

- प्रतिभागी आवेदनकर्ता आवेदन पत्र के प्रपत्र क्र.02 कंडिका क्र.06 अनुसार जिस स्थान पर वितरक कार्य करना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से स्थान का नाम अंकित करें। शब्दों में भिन्नता अथवा अस्पष्टता होने की स्थिति में ऐसे आवेदन अमान्य घोषित होंगे। अलग—अलग स्थानों के लिये पृथक—पृथक आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। यदि आवेदनकर्ता का नियमानुसार 01 से अधिक स्थानों पर चयन होता है तो ऐसी स्थिति में पात्र आवेदनकर्ता को यह स्पष्ट करना होगा की वितरक कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।
- प्रतिभागी आवेदनकर्ता को आवश्यक अर्हताओं अंतर्गत वितरक कार्य हेतु रु 10000/- की डीडी/बैंकर्स चेक जो कि पेयबल एट “भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के नाम से देय होगा, बतौर ईएमडी राशि के रूप में प्रस्तुत करना होगा। बिना ईएमडी राशि के आवेदन पत्र अमान्य होंगे।
- केवल म.प्र. राज्य में स्थित MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी। परंतु MSME उद्यमियों को ऑनलाइन MSME के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण पत्र संलग्न किए ऐसी निविदाएं अपात्र घोषित की जाएंगी।
- ऐसे प्रतिभागी आवेदनकर्ता जिनका नियमानुसार वितरक कार्य हेतु चयन नहीं हुआ है। ऐसे प्रतिभागी आवेदनकर्ताओं (असफल प्रतिभागी आवेदनकर्ताओं) की ईएमडी राशि वापसी योग्य होगी।
- 5. चयन प्रक्रिया :—**

साँची नीर वितरक कार्य हेतु किसी भी स्थान पर केवल एक ही आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन संबंधी दस्तावेजों का (आवश्यक अर्हताएँ) परीक्षणोंपरांत सफल पाये जाने पर कार्य आवंटित किया जाएगा।

- 5.1 किसी भी स्थान पर यदि एक से अधिक अर्थात् कुल 02 आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त दोनों आवेदकों के आवेदनों की तकनीकी अर्हताओं का परीक्षणोंपरांत सफल पाएं जाने के पश्चात् उक्त दोनों आवेदकों को प्रस्तावित स्थान में वितरक कार्य आवंटित किया जाएगा।
- 5.2 यदि किसी भी स्थान पर दो से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में कम्प्यूटर रेन्डमाईजेशन के माध्यम से लॉटरी प्रक्रिया के आधार पर आवेदक का चयन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत लॉटरी में प्रथम दो आवेदकों का (1<sup>st</sup> & 2<sup>nd</sup> Order) का चयन किया जाएगा।

### **6. प्रतिभूति राशि :—**

सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में रु.50,000/- (शब्दों में रूपये पचास हजार मात्र) नगद/आरटीजीएस अथवा डीमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक पेयबल एट “भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के नाम से देय होगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। समय समय पर साँची नीर (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर) के विक्रय अनुसार प्रतिभूति राशि में बढ़ोतरी की जावेंगी। सफल आवेदनकर्ता (वितरक) की ईएमडी राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन किया जाएगा।

7. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) का आवेदन नियमानुसार स्वीकृत होने के पश्चात् अनुबंध का निष्पादन रु.1000/- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर दो जमानतदार के साथ जिसमें एक शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का वेतन स्लिप जो कि संबंधित विभाग अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित हो मय आधार कार्ड, फोटो सहित जमा करेंगे। इसी तरह एक प्राइवेट कर्मचारी के आधार कार्ड, फोटो सहित एक माह में जमा करेगे। अन्यथा निर्धारित समय में औपचारिकताएं पूरी न करने की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
8. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को वितरक कार्य हेतु साँची नीर की मांग एक दिवस पूर्व अपराह्न 12:00 बजे तक स्वयं के नाम से ऑनलाइन के द्वारा प्रतिदिन ईआरपी एप पर देना होगा। दूरभाष पर एवं तय समय के उपरांत मांग स्वीकार योग्य नहीं होगी। सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को एप के माध्यम से डिमाण्ड देने के लिए प्रशिक्षण दुग्ध संघ द्वारा दिया जाएगा तथा वह अपने अधिनस्थ पार्लर/बूथ/रिटेलर्स को एप के माध्यम से साँची नीर की डिमांड देने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। साँची नीर की डिमांड दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित एप के माध्यम से ही स्वीकार होगी। अतिविशेष स्थिति में अन्य माध्यम से डिमांड स्वीकार की जा सकेगी।
9. वितरक को प्रतिदिन उसकी मांग के अनुसार दुग्ध संघ के अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा साँची नीर (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर) प्रदाय किया जाएगा। अतः प्रदायगी के समय सफल आवेदनकर्ता (वितरक) साँची नीर के बॉक्स की जांच, परख व गिनती अच्छे से करें प्रदायगी के पश्चात् बॉक्स कम पाए जाने पर हुई हानि की जिम्मेदारी सफल आवेदनकर्ता (वितरक) की होगी।
10. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) उनके अधीनस्थ विक्रय एजेंटों को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित विक्रेता दरों पर ही साँची नीर का विक्रय करेंगे। निर्धारित दरों से अधिक दर पर विक्रय करते पाए जाने पर अनुबंध की शर्त अनुसार कार्यवाही की जाएगी जो कि वितरक को मान्य होगी।
11. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को अपने स्तर पर एवं स्वयं के व्यय से भी समय-समय पर प्रचार प्रसार सामग्रीयों का मुद्रण एवं निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु पृथक से दुग्ध संघ द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा।
12. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को साँची नीर वितरक कार्य हेतु प्रतिदिन प्रदायित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में नियमित रूप से जमा करेंगे अन्यथा राशि जमा न करने की दशा में साँची नीर की प्रदायगी बाधित होगी। जिसकी जिम्मेदारी वितरक की होगी।
13. **वितरक की अनुबंध अवधि :—**  
वितरक की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर वितरक का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक-एक वर्ष निरंतर अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
14. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को कार्य आदेश जारी होने के उपरांत अविलंब साँची नीर वितरक कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा, यदि वितरक कार्य आदेश जारी होने के उपरांत कतिपय कारणों से वितरक कार्य प्रारंभ नहीं कर पाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा लिया गया निर्णय सर्वोपरी होगा।
15. यदि सफल आवेदनकर्ता (वितरक) कार्य प्रारंभ करने के पश्चात् अथवा अनुबंध अवधि में इस कार्य को करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं तो उसे अनुबंध की शर्त क्र.01 में वर्णित नियमों के अंतर्गत दुग्ध संघ प्रबंधन को कार्य छोड़ने हेतु एक माह की लिखित में अग्रिम सूचना देनी होगी। अन्यथा नियमानुसार सूचना न देने पर वितरक के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी जो कि वितरक को मान्य होगी।

16. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को साँची नीर के विक्रय लक्ष्य निर्धारित होंगे। जिसे उसे पूरा करना होगा। प्रत्येक तीन माह में लक्ष्यों की समीक्षा की जावेगी, लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त न होने पर वितरक को आगामी तीन माह में लक्ष्यों की पूर्ति करनी होगी। छः माह के पश्चात् भी यदि वितरक द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा लिया गया निर्णय सर्वोपरि होगा।
17. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से अभद्रता/अनुशासनहिनता नहीं करेंगे अन्यथा ऐसी स्थिति निर्मित होने की दशा में प्रकरण की जांच में सही पाये जाने पर साँची नीर वितरक कार्य निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
18. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) प्रतिस्पर्धी ब्रांडों का पैकेजेड ड्रिंकिंग वाटर का विक्रय/वितरण नहीं करेंगे अन्यथा औचक निरीक्षण के दौरान ऐसा करते पाये जाने पर पंचनामे एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या रु.10000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। इसके पश्चात् पुनर्रावृत्ति होने पर वितरक कार्य निरस्त किया जाएगा। जो कि सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को मान्य होगा।
19. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) अपने स्तर से भी विक्रय एजेंट तैयार करेंगे एवं विक्रय एजेन्ट को दुग्ध संघ की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अधिकृत करायेंगे।
20. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) अपना आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेंगे एवं न ही उप ठेकेदार नियुक्त करेंगे। अनुबंध अवधि में ऐसा करते पाए जाने पर सफल आवेदनकर्ता (वितरक) के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जो कि उसे मान्य होगी।
21. प्रतिभागी आवेदनकर्ता साँची नीर के वितरक कार्य हेतु वितरक मार्जिन/विक्रेता मार्जिन एवं आवेदन भरने से संबंधित जानकारी तथा वितरक कार्य के संबंध में जानकारी किसी भी कार्यालयीन दिवस में आवेदन खुलने के दो दिवस पूर्व तक विपणन शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।
22. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को चालू खाते का धनादेश विपणन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। अपरिहार्य स्थिति में दुग्ध संघ को वितरक से किसी भी मद में बकाया राशि लेनी होगी तो उक्त धनादेश (चेक) के माध्यम से वसूली की जाएगी। धनादेश जमा न करने की स्थिति में कार्य आदेश जारी किया जाना संभव नहीं होगा।
23. किसी भी आवेदन अथवा समस्त आवेदनों को सकारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
24. सफल आवेदनकर्ता को (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) चालू खाते से साँची नीर साँची नीर विक्रय की राशि जमा करना अनिवार्य होगा। कतिपय कारणों से वितरक अपने खाते से यदि राशि ऑनलाइन जमा नहीं कर पाते हैं तो उसे डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि पेयवल एट भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के नाम देय होगा प्रस्तुत करना होगा अथवा नगद राशि दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा कि स्थिति में साँची नीर की प्रदायगी बाधित होगी।
25. आवेदनकर्ता की अनुबंध अवधि में मृत्यु हो जाने पर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसके द्वारा घोषित किए गए उत्तराधिकारी वितरक कार्य अनुबंध अवधि में हस्तांतरित किया जा सकेंगा। यदि उत्तराधिकारी अनुबंध की शर्तों के तहत वितरक कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे वितरक (मृतक) का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रु.100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात् ही मृतक (वितरक) की दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि, यदि कोई बकाया राशि शेष रहती है तो उसका प्रतिभूति राशि में से अंकेक्षण उपरांत कटौत्रा कर शेष राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के अनुमोदन उपरांत उसके उत्तराधिकारी को वापसी योग्य होगी।

26. वितरक कार्य हेतु अनुबंध की शर्तों का प्रारूप जो कि परिशिष्ट '06' पर संलग्न है। केवल अवलोकन के लिए संलग्न किया गया है। जिसे प्रतिभागी आवेदनकर्ता पढ़ सकते हैं। यह अनुबंध पत्र केवल सफल आवेदनकर्ता को कार्य आवंटित होने के पश्चात् दुग्ध संघ के साथ निषादित कर प्रस्तुत करना होगा। अतः प्रतिभागी आवेदनकर्ता इस अनुबंध पत्र को आवेदन पत्र के साथ संलग्न न करें।
27. वितरक कार्य हेतु आवेदन पत्र खोलने की कार्यवाही दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित नियत समय एवं तिथि में प्रतिभागी आवेदनकर्ताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष की दुग्ध संघ के सभा कक्ष में की जाएगी। यदि किसी भी स्थान में भाग लिए गए प्रतिभागी आवेदनकर्ता/उनके प्रतिनिधी चयन प्रक्रिया के समय कतिपय कारणों से उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा लिया गया निर्णय सर्वोपरी होगा। जो की प्रतिभागी आवेदनकर्ता को मान्य होगा।
28. प्रतिभागी आवेदनकर्ता, वितरक कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की वेबसाइट [www.sanchidairy.com](http://www.sanchidairy.com) से डाउनलोड करें एवं आवेदन पत्र की दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित क्रय मूल्य की राशि रु.500/- की डीडी/बैंकर्स चेक जो की पेयबल एट भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के नाम से देय होगा तैयार करें तथा आवेदन पत्र में मांगे गये समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न कर मय ईएमडी राशि सहित भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल कार्यालय में भौतिक रूप से नियत समय एवं तिथि पर जमा करें। नियत समय एवं तिथि के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
29. सफल आवेदनकर्ता को उसकी नियुक्ति के पश्चात् एफएसएआई, जीएसटी, स्वयं की दुकान/कार्यालय के दस्तावेजों की छायाप्रति, म.प्र. दुकान अधिकनियम 1958 के अंतर्गत दुकान के पंजीयन की प्रति, दुकान की रंगीन फोटो (लोकेशन का जीपीएस लोकेशन के साथ) एक माह के अंदर विपणन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
30. आवेदनकर्ता जिन स्थानों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसकी सूची आवेदन पत्र के प्रपत्र क्र.05 में संलग्न की गई है।
31. सफल आवेदक को सॉची नीर (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर) की प्रदायगी हेतु उसे अग्रिम भुगतान पर ही की जाएगी। बिना अग्रिम भुगतान के प्रदायगी की जाना संभव नहीं होगा।
32. सफल आवेदनकर्ता को उसकी नियुक्ति के पश्चात् वितरक कार्य हेतु समस्त औपचारिकताएं एक माह के अंदर पूरा करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात् औपचारिकताएं पूरी नहीं करने की स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा।

### घोषणा—

मेरे/हमारे द्वारा वितरक कार्य की सभी नियम एवं शर्तों को भलीभांती अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़कर समझ लिया गया है एवं मुझे/हमें कार्य की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मेरे/हमारे द्वारा कोई भी शर्तों के उल्लंघन किया जाता है। मेरे/हमारे विरुद्ध भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस हेतु मैं/हम अपनी सहमती देते हैं।



# भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र. 04

शपथ पत्र (केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम..... पिता/पति..... आयु..... निवासी..... यह  
कि मुझे/हमें कभी भी किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है  
तथा मेरा/हमारा वर्तमान में किसी भी न्यायालय, पुलिस थाने में कोई वाद/आपराधिक प्रकरण नहीं  
चल रहा है।

यदि इस संबंध में किसी भी समय वचन/शपथ गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ प्रबंधन  
मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस हेतु मै/हम.....  
उपरोक्तानुसार अपनी सहमती देते हैं।

दिनांक— .....

गवाह—

1 नाम .....

पता— .....

.....

मो.नं.— .....

आधारकार्ड नं.— .....

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

नाम—

पता— .....

.....

मो.नं.

2 नाम— .....

पता— .....

.....

मो.न.— .....

आधरकार्ड न— .....



# भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र. 05

## साँची नीर (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर) वितरक कार्य हेतु प्रस्तावित स्थलों की सूची

### 1. जिला विदिशा अंतर्गत प्रस्तावित स्थल –

| स.क्र.  | स्थान का नाम | प्रस्तावित वितरक संख्या |
|---------|--------------|-------------------------|
| 1       | विदिशा       | 01                      |
| 2       | उदयपुर       | 02                      |
| 3       | पठारी        | 02                      |
| 4       | त्यौंदा      | 02                      |
| 5       | ग्यारसपुर    | 02                      |
| 6       | गुलाबगंज     | 02                      |
| 7       | दिवानगंज     | 02                      |
| 8       | सलामतपुर     | 02                      |
| 9       | बालमपुर      | 02                      |
| 10      | हैदरगढ़      | 02                      |
| 11      | शमशाबाद      | 02                      |
| 12      | सिरोंज       | 02                      |
| 13      | लटेरी        | 02                      |
| 14      | गंजबासोदा    | 02                      |
| कुल योग |              | 28                      |

### 2. जिला रायसेन के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

| स.क्र.  | स्थान का नाम  | प्रस्तावित वितरक संख्या |
|---------|---------------|-------------------------|
| 1       | देहगांव       | 02                      |
| 2       | रायसेन        | 02                      |
| 3       | गैरतगंज       | 02                      |
| 4       | बेगमगंज       | 02                      |
| 5       | ओबेदुल्लाहगंज | 02                      |
| 6       | सांइखेड़ा     | 02                      |
| 7       | गौहरगंज       | 02                      |
| 8       | बाड़ी         | 02                      |
| 9       | अमरावत कलाँ   | 02                      |
| 10      | भाकच्छ        | 02                      |
| 11      | साँची         | 02                      |
| 12      | बरेली         | 02                      |
| 13      | उदयपुरा       | 02                      |
| 14      | गौहरगंज       | 02                      |
| 15      | सुल्तानपुर    | 02                      |
| कुल योग |               | 30                      |

### 3. जिला सीहोर के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

| <u>स.क्र.</u>  | <u>स्थान का नाम</u> | <u>प्रस्तावित<br/>वितरक संख्या</u> |
|----------------|---------------------|------------------------------------|
| 1              | बकतरा               | 02                                 |
| 2              | शाहगंज              | 02                                 |
| 3              | डोबी                | 02                                 |
| 4              | सीहोर               | 02                                 |
| 5              | अमलाहा              | 02                                 |
| 6              | अहमदपुर             | 02                                 |
| 7              | नसरूल्लागंज         | 02                                 |
| 8              | इच्छावर             | 02                                 |
| 9              | रेहटी               | 02                                 |
| 10             | मालीवाया            | 02                                 |
| 11             | बिलकिसगंज           | 02                                 |
| 12             | इटावा कलाँ          | 02                                 |
| 13             | आष्टा               | 02                                 |
| 14             | बुधनी               | 02                                 |
| 15             | सलकनपुर             | 02                                 |
| 16             | मालीवाया            | 02                                 |
| 17             | श्यामपुर            | 02                                 |
| 18             | छिपानेर (बड़ा)      | 02                                 |
| <b>कुल योग</b> |                     | <b>36</b>                          |

### 4. जिला शाजापुर के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

| <u>स.क्र.</u>  | <u>स्थान का नाम</u> | <u>प्रस्तावित<br/>वितरक संख्या</u> |
|----------------|---------------------|------------------------------------|
| 1              | शुजालपुर            | 02                                 |
| 2              | कालीपीपल            | 02                                 |
| 3              | अकोदिया             | 02                                 |
| 4              | अरनियाकलाँ          | 02                                 |
| 5              | पोलाय कलाँ          | 02                                 |
| 6              | इकलेरा              | 02                                 |
| 7              | कोठरी               | 02                                 |
| <b>कुल योग</b> |                     | <b>14</b>                          |

## 5. जिला हरदा के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

| स.क्र.  | स्थान का नाम   | प्रस्तावित वितरक संख्या |
|---------|----------------|-------------------------|
| 1       | टिमरनी         | 02                      |
| 2       | चारूवां        | 02                      |
| 3       | सिराली         | 02                      |
| 4       | छिपानेर (छोटा) | 02                      |
| 5       | खिरकिया        | 02                      |
| 6       | रेहट गाँव      | 02                      |
| कुल योग |                | 12                      |

## 6. जिला राजगढ़ के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

| स.क्र.  | स्थान का नाम | प्रस्तावित वितरक संख्या |
|---------|--------------|-------------------------|
| 1       | तलेन         | 02                      |
| 2       | नरसिंहगढ़    | 02                      |
| 3       | वोडा         | 02                      |
| 4       | खिलचीपुर     | 02                      |
| 5       | कुरावर       | 02                      |
| 6       | सुठालिया     | 02                      |
| 7       | राजगढ़ शहर   | 02                      |
| 8       | ब्यावरा      | 02                      |
| 9       | खिलचीपुर     | 02                      |
| 10      | पचोर         | 02                      |
| कुल योग |              | 20                      |

## 7. जिला नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

| स.क्र.  | स्थान का नाम            | प्रस्तावित वितरक संख्या |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 1       | नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) | 01                      |
| 2       | बनापुरा                 | 02                      |
| 3       | शिवपुर                  | 02                      |
| 4       | पिपरिया                 | 02                      |
| 5       | सेमरी हरचंद्र           | 02                      |
| 6       | सोहागपुर                | 02                      |
| 7       | बाबई                    | 02                      |
| 8       | इटारसी                  | 02                      |
| 9       | सुखतवा                  | 02                      |
| कुल योग |                         | 17                      |

### 8. जिला गुना के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

| स.क्र.  | स्थान का नाम | प्रस्तावित वितरक संख्या |
|---------|--------------|-------------------------|
| 1       | गुना         | 02                      |
| 2       | राधोगढ़      | 02                      |
| 3       | गेल          | 02                      |
| 4       | जामनेर       | 02                      |
| 5       | पिपखेड़ी     | 02                      |
| 6       | आरोन         | 02                      |
| 7       | बीनागंज      | 02                      |
| 8       | कुम्भराज     | 02                      |
| 9       | मृगवास       | 02                      |
| 10      | चाचोड़ा      | 02                      |
| 11      | मकसूदनगढ़    | 02                      |
| कुल योग |              | <b>22</b>               |

### 9. जिला बैतूल के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

| स.क्र.  | स्थान का नाम | प्रस्तावित वितरक संख्या |
|---------|--------------|-------------------------|
| 1       | आठनेर        | 02                      |
| 2       | सारणी        | 02                      |
| 3       | चिचोली       | 02                      |
| 4       | बैतूल        | 02                      |
| 5       | बैतूल बाजार  | 02                      |
| 6       | शाहपुर       | 02                      |
| 7       | भैसदेही      | 02                      |
| 8       | प्रभातपट्टन  | 02                      |
| 9       | आमला         | 02                      |
| 10      | मुलताई       | 02                      |
| 11      | घोड़ाड़ोंगरी | 02                      |
| 12      | भीमपुर       | 02                      |
| 13      | बड़ोरा       | 02                      |
| कुल योग |              | <b>26</b>               |

### 10. जिला भोपाल के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल

| स.क्र.  | स्थान का नाम            | प्रस्तावित वितरक संख्या |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 1       | सुखीसेवनिया(जिला भोपाल) | 02                      |
| 2       | परवलिया (जिला भोपाल)    | 02                      |
| 3       | नजीराबाद (जिला भोपाल)   | 02                      |
| 4       | हर्षखेड़ा (जिला भोपाल)  | 02                      |
| 5       | बैरसिया (जिला भोपाल)    | 02                      |
| 6       | तुमड़ा (जिला भोपाल)     | 02                      |
| कुल योग |                         | <b>12</b>               |

**11. अन्य प्रस्तावित स्थल**

| <u>स.क्र.</u>  | <u>स्थान का नाम</u>                  | <u>प्रस्तावित वितरक संख्या</u> |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <u>1</u>       | खातेंगांव (जिला देवास)               | 02                             |
| <u>2</u>       | नेमावर (जिला देवास)                  | 02                             |
| <u>3</u>       | गाडरवारा (जिला नरसिंहपुर)            | 02                             |
| <u>4</u>       | सँईखेड़ा (जिला नरसिंहपुर)            | 02                             |
| <u>5</u>       | मनोहरथाना (झालावाड़ा) राजस्थान राज्य | 02                             |
| <u>6</u>       | पांडुणा (जिला पांडुणा )              | 02                             |
| <u>7</u>       | बड़ चिचोली (जिला पांडुणा )           | 02                             |
| <u>8</u>       | सावनेर (जिला नागपुर )                | 02                             |
| <u>9</u>       | नागपुर (जिला नागपुर )                | 02                             |
| <b>कुल योग</b> |                                      | <b>18</b>                      |

## अनुबंध प्रपत्र (देखने हेतु)

यह अनुबंध दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुये आज दिनांक ..... को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल जिन्हे आगे प्रथम पक्ष एवं श्री/ मैसर्स (फर्म/ कम्पनी/ पार्टनरशिप/ एकल स्वामित्व) ..... जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व वितरक कार्य संपादित करेंगे :-

01. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यवसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत द्वितीय पक्ष को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। इसके लिए दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरक कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
02. द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध संघ के पास राशि रु ..... (रूपये ..... मात्र) बी.आर./एम आर क्र. ..... दिनांक ..... को बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में जमा किया गया है। जिस पर कोई व्याज दुग्ध संघ द्वारा देय नहीं होगा।
03. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा आवंटित शहर ..... जिला ..... (मध्यप्रदेश/ महाराष्ट्र) जिस पर स्थित साँची नीर विक्रय केन्द्रों जिनकी संख्या दुग्ध संघ अपनी आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा सकता है पर साँची साँची नीर की दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन व्यवस्था द्वितीय पक्ष, सुनिश्चित करेगा।
04. द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित मूल्य पर साँची नीर उसकी मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा किन्तु कतिपय कारणों से हडताल, भूकम्प आदि की स्थितियों में दुग्ध संघ किसी भी तरह के हर्जाने आदि के भुगतान को न दिये जाने हेतु पूर्ण रूपेण स्वतंत्र व कानूनी प्रक्रियाओं से परे होगा।
05. द्वितीय पक्ष, दुग्ध संघ के पास अपने रेखांकित (दुग्ध संघ के हित में) कोर बैंकिंग सुविधा युक्त धनादेश (बैंक बुक) रखेगा तथा प्रदाय किये गये साँची नीर विक्रय की राशि द्वितीय पक्ष प्रतिदिन ॲनलाइन (आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी.) प्रक्रिया के माध्यम से अपने स्वयं के खाते से दुग्ध संघ के खाते में जमा करेगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी कारणवश ॲनलाइन भुगतान नहीं किया जाता है तो दुग्ध संघ उसके द्वारा जमा किये गये धनादेश से उसे प्रदाय किये गये साँची नीर की मात्रा की धन राशि भरकर उसी दिन भुगतान प्राप्ति हेतु लगाने का पूर्ण अधिकारी होगा। तथा धनादेश बाउंस होने की दशा में दुग्ध संघ नियमानुसार द्वितीय पक्ष पर वैधानिक कार्यवाही के अन्तर्गत समस्त कानूनी कार्यवाही मय हर्जे खर्चों के करने हेतु स्वतंत्र होगा। साथ ही उक्त राशि की वसूली द्वितीय पक्ष के प्रतिभूति राशि से भी की जावेगी।
06. द्वितीय पक्ष शासन के समस्त निर्धारित करां आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जवाबदार व्यक्तिशः या कानूनी रूप से होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय—समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थित में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही द्वितीय पक्ष के विरुद्ध की जा सकेगी व ऐसी किसी भी कार्यवाही से दुग्ध संघ पूर्ण रूपेण मुक्त रहेगा।
07. द्वितीय पक्ष के मार्ग में स्थित केन्द्र प्रभारियों द्वारा उनको विपणित की गई साँची नीर विक्रय राशि का भुगतान द्वितीय पक्ष को न किये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की सहमती से उस विक्रय केन्द्र पर प्रदाय/विपणन कार्य बंद करा सकेगा तथा प्रथम पक्ष के पास संबंधित विक्रय केन्द्र प्रभारीयों की जमानत राशि से प्रथम पक्ष के लेखा का समाधान पश्चात बची राशि या पूर्ण राशि में से उसकी लेखा राशि प्राप्त कर सकेगा।
08. द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की विपणन संबंधी अनियमितता करते पाये जाने की दशा में प्रथम दृष्ट्या द्वितीय पक्ष के विरुद्ध रु.10000/- की पेनलटी लगाई जावेगी जो कि द्वितीय पक्ष पर बन्धनकारी होगा। पुनरावृत्ति होने पर द्वितीय पक्ष को आवंटित वितरक कार्य निरस्त किया जाएगा। जिसकी जवाबदेही द्वितीय पक्ष की स्वयं की होगी।
09. समय—समय पर प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को आवंटित शहर/क्षेत्र में साँची नीर हेतु विक्रय लक्ष्य देवेगा जिसकी प्राप्ति सुनिश्चित करना द्वितीय पक्ष के लिए अनिवार्य होगा तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने पर दुग्ध संघ द्वारा लिये गए निर्णयों को मानने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
10. द्वितीय पक्ष (वितरक) अपना आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेगा। अनुबंध अवधि में ऐसा करते पाए जाने पर द्वितीय पक्ष (वितरक) के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। जो कि उसे मान्य होगी।
11. प्रथम पक्ष, संबंधित शहर/क्षेत्र स्थित संस्थाओं को उधारी में प्रदाय साँची नीर द्वितीय पक्ष के माध्यम से करेगा जिसकी आवश्यक पावती आदि प्राप्त करने की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

12. समय समय पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को सँची नीर के विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देश का पालन करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होवेगा एवं यदि प्रथम पक्ष यह पाता है कि द्वितीय पक्ष विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है या उसे दिये समय समय पर दिशा निर्देश का जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये इस अनुबंध की कंडिका क्र.08 के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होवेगा।
13. इस अनुबंध का न्यायिक कार्यक्षेत्र भोपाल शहर के न्यायालय में होवेगा तथा यह अनुबंध प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष की आपसी सहमति के तहत दिनांक ..... को निष्पादित किया गया है।
14. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एकट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
15. द्वितीय पक्ष की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्ष का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक—एक वर्ष निरंतर अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
16. मार्ग के एजेंटों के उपर अगर विक्रय राशि शेष रहती है तो शेष राशि की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इस हेतु प्रथम पक्ष किसी भी स्थिति में जिम्मेदार नहीं होगा।
17. प्रथम पक्ष द्वारा समय—समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्र/परिपत्रों अथवा मौखिक रूप से दिये जावेंगे वे पत्र/परिपत्र अनुबंध के भाग माने जावेंगे।
18. दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आकस्मिक निरिक्षण किये जाने के दौरान यदि द्वितीय पक्ष द्वारा उपभोक्ताओं को सँची नीर निर्धारित खुदरा मूल्य से अधिक दर पर विक्रय/अन्य ब्रांडों का पैकेजेड ड्रिंकिंग वाटर का विक्रय/अनुबंध की कंडिकाओं के विपरित कार्य करने/किसी भी प्रकार की अनियमितता करते हुये पाया जाता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के वितरकशिप समाप्त कर दी जावेगी जिसकी पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी।
19. द्वितीय पक्ष को संबंधित मार्ग के परिवहनकर्ता से ही सँची नीर लेना होगा।
20. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा द्वितीय पक्ष के यहाँ आकस्मिक रूप से निरिक्षण किये जाने के दौरान सँची नीर के सेम्पल लिये जाने की स्थिति में वितरक कों तत्काल सूचना दुग्ध संघ को देनी होगी। अन्यथा किसी भी प्रकार की होने वाली कार्यवाही हेतु द्वितीय पक्ष स्वयं जवाबदार होगा।
21. द्वितीय पक्ष की अनुबंध अवधि में मृत्यु हो जाने पर दुग्ध संघ द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसके द्वारा घोषित किए गए उत्तराधिकारी को वितरक कार्य अनुबंध अवधि में हस्तांतरित किया जा सकेंगा। यदि उत्तराधिकारी अनुबंध की शर्तों के तहत वितरक कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे वितरक (मृतक) का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रु.100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात् ही मृतक (वितरक) की दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि, यदि कोई बकाया राशि शेष रहती है तो उसका प्रतिभूति राशि में से अंकेक्षण उपरांत कटौत्रा कर शेष राशि प्रथम पक्ष के अनुमोदन उपरांत उसके उत्तराधिकारी को वापसी योग्य होगी।
22. आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 03 में वर्णित नियम एवं शर्त इस अनुबंध के भाग माने जाएंगे।

मैं.....पिता/पति.....आयु.....निवासी.....  
 .....ग्रामीण वितरक शहर/तहसील/ग्राम पंचायत.....अपना विधि सम्मत उत्तराधिकारी  
 श्री/श्रीमती.....को घोषित करता हूँ/करती हूँ। साथ ही वितरकशिप स्वीकृत होने के उपरान्त मुझे संघ की समस्त शर्ते एवं नियम मान्य है। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त में से किसी भी कंडिकाओं के विरुद्ध कार्य/अनियमितता की जाती है तो दुग्ध संघ किसी भी प्रकार की मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही मेरी स्वयं की होगी।

**हस्ताक्षर**  
**वितरक (द्वितीय पक्ष)**

गवाह  
 1 .....  
 पता.....

गवाह  
 2 .....  
 पता.....

**हस्ताक्षर**  
**मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रथम पक्ष**

**प्रभारी (विपणन)**

## जमानतनामा

मैं जमानतदार सर्व ..... आत्मज श्री ..... आयु.....  
..... मे है कि, कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष, पुत्र श्री .....  
..... आयु ..... निवासी .....

के बीच आज दिनांक .....को साँची नीर वितरक कार्य अनुबंध लिख गया है। इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये प्रथम पक्ष को हुए नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूँगा अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल—अचल संपत्ति से वसूल करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे साँची नीर वितरक कार्य अनुबंध की पूर्ति के जमानत बतौर मैने आज दिनांक ..... को लिख दिया है।

|             |             |
|-------------|-------------|
| गवाह :      | जमानतदार:   |
| हस्ताक्षर   | हस्ताक्षर   |
| नाम.....    | नाम.....    |
| पता.....    | पता.....    |
| मोबाइल..... | मोबाइल..... |

## जमानतनामा

मैं जमानतदार सर्व ..... आत्मज श्री ..... आयु.....  
..... मे है कि, कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष, पुत्र श्री .....  
..... आयु ..... निवासी .....

के बीच आज दिनांक .....को साँची नीर वितरक कार्य हेतु अनुबंध लिख गया है। इस अनुबंध  
के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये हुए प्रथम पक्ष को हुए नुकसान की  
जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार  
स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूंगा अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल-अचल संपत्ति से वसूल करने के  
अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे साँची नीर वितरक कार्य अनुबंध की पूर्ति  
के जमानत बतौर मैंने आज दिनांक ..... को लिख दिया है।

गवाह :

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल.....

जमानतदारः

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल.....

## शपथ पत्र

मैं ..... आत्मज श्री ..... आयु निवासी.....  
..... शपथपूर्वक यह कथन करता हूँ कि

1. मैंने आज दिनांक ..... को यह अनुबंध करार भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित भोपाल से साँची नीर वितरक कार्य हेतु किया है जिसकी समस्त सेवा शर्त मुझे मान्य है।
2. यह कि यह शपथ पत्र मे प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल के साथ हुये अनुबंध के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा यह शपथपत्र अनुबंध का अभिन्न अंग ही माना जायेगा।

शपथग्रहिता.....

## सत्यापन

मैं ..... सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र के उपरोक्त चरण मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। सत्यापन आज दिनांक ..... को ..... में किया गया।

शपथग्रहिता.....